कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

E-mail: dfonnagar-forest-uk@nic.in Telefax- 0135-2442052

पत्रांक संख्या– / 12–1 दिनांक 05/03/2022

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर मु0–कीर्तिनगर।

विषय :– **राज्य योजना के अन्तर्गत कीर्तिनगर में बीरखाल से बरसीला होतु हुये ग्राम पंचायत मंजुली तक मोटरमार्ग के निर्माण हेतु 1.135 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/35682/2018)**

सन्दर्भ :– **आपका पत्रांक–39/33सी0 दिनांक 10–01–2022 के क्रम में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक मोटरमार्ग पर वन भूमि हस्तान्तरण की सैद्वान्तिक स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक–08बी/यू0सी0पी0/06/115/2019/एफ0सी/1968 दिनांक 19–03–2020 के द्वारा प्राप्त हो चुकी है। आपके कार्यालय पत्रांक–1643/33सी0 दिनांक 02–12–2021 के द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति की शर्तो के अनुपालन में वांछित धनराशि जमा की गयी है, तथा जिसकी पुष्टि करते हुये अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी उत्तराखण्ड के पत्रांक–2075/FP/UK/ROAD/35682/2018 दिनांक 28–02–2022 के द्वारा भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रस्ताव पर विधिवत् स्वीकृति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु लिखा गया है।

अतः भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के शासनादेश संख्या–F.No. 11/306/2014-FC, दिनांक 26–09–2015, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–941/X–4/18/1–05(04)/2014, दिनांक 26–09–2018 एवं भारत सरकार द्वारा जारी हैण्डबुक के पैरा–11.2 में प्राविधानित व्यवस्था के आलोक में **कीर्तिनगर में बीरखाल से बरसीला होतु हुये ग्राम पंचायत मंजुली तक मोटरमार्ग निर्माण कार्य** हेतु 1.135 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर को निर्माण हेतु वृक्षों के पातन एवं कार्य आरम्भ करने की अनुमति निम्न शर्तो के अधीन दी जाती है :–

1. यह अनुमति विधिवत् स्वीकृति की प्राप्ति तक अथवा अनुमति जारी होने के एक वर्ष तक जो पहले हो तक ही वैद्य है।
2. विधिवत् स्वीकृति प्राप्त होने पर उक्त स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
3. वृक्षों के छपान से पूर्व वन विभाग के पर्यवेक्षण में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मोटरमार्ग के संरेखण के दोनो ओर स्पष्ट चिन्हांकन किया जाना होगा।
4. परियोजना में वन भूमि में न्यूनतम वृक्षों का पातन किया जायेगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 24 वृक्ष (Including Saplings) है, एवं वृक्षों का पातन वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में किया जायेगा।
5. वन भूमि पर कोई भी शिविर स्थापित नही किया जायेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से प्राप्त लकडी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा।
7. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्तर्गत कोई भी अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जायेगा।

8. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव में संलग्न मलवा निस्तारण योजना के अनुसार वन विभाग की देख–रेख में किया जायेगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नही फेका जायेगा।

9. भारत सरकार द्वारा जारी निर्गत सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो/उपरोक्त शर्तो में से किसी भी शर्त का उल्लंघन, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा, जिसके लिये प्रयोक्ता अभिकरण स्वयं उत्तरादायी होगा।

10. वन संरक्षण अधिनियम 1980, भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्यजीव संरक्षण, अधिनियम 1972 एवं अन्य सुसंगत नियमों/आदेशो का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन किया जाना होगा।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

संख्याः–2736 /12-1 दिनांकित
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित। :–

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. मुख्य वन संरक्षक, आई0टी0जी0सी0 एवं आधुनिकीकरण, उत्तराखण्ड देहरादून को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
3. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

संख्याः– / दिनांकित
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। :–

1. उप प्रभागीय वनाधिकारी, देवप्रयाग उप वन प्रभाग।
2. वन क्षेत्राधिकारी, कीर्तिनगर।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

I.T.C.C.
CCF